

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
- 2- अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2014

विषय:- उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/कय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय व्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में माफ किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/कय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर देय व्याज की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में माफ किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-बी-3-4086/दस-94-20(24)/92, दिनांक 31 अक्टूबर, 1994 (प्रति संलग्न) को एतद्वारा अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,



(पनधारी यादव)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र समस्त सम्बन्धितों को ई-मेल एवं फैक्स भेजवाते हुए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बेवसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
- 2- समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

संख्या बी-3-4086/एस-94-20 (24)/92

पेपर

श्री एस०ए०टी० रिजर्वी,
प्रमुख सचिव, विना,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय/प्रमुख,
विना जल तथा वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लाघनरू दिनांक: 11 अक्टूबर, 1994

विषय राज्य कार्यचारिणी को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में वापस किया जाना।

संदर्भ

विना (अपराध/सचिव)
अनुभाग 1

राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्यचारिणी को उनके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को स्वीकृत किया जाना है। विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में वापस किया जाना है। कार्यचारिणी को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक भित्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है और उनके द्वारा उनके अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

~~2. राज्य सरकार द्वारा राज्य कार्यचारिणी को उनके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को स्वीकृत किया जाना है। विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को उनकी सेवाकाल में मृत्यु की दशा में वापस किया जाना है। कार्यचारिणी को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक भित्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है और उनके द्वारा उनके अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।~~

1. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि सेवाकाल में कार्यचारिणी की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा विना पर देय खात निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाना है।

2. ऐसे प्रकारों में जिनमें भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाना है, वे भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ नहीं करे। भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ करने के लिए कार्यचारिणी को मृत्यु की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक भित्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है और उनके द्वारा उनके अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

3. जहाँ जहाँ भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाना है, वे भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ करने के लिए कार्यचारिणी को मृत्यु की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक भित्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है और उनके द्वारा उनके अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

4. प्रत्येक वर्ष के अन्त में जहाँ जहाँ भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाना है, वे भवन निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ करने के लिए कार्यचारिणी को मृत्यु की दशा में उनके परिवार के सदस्यों को अधिक भित्ति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है और उनके द्वारा उनके अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यचारिणी को सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उनके द्वारा विना पर देय खात निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाना है।

6. विना पर देय खात निर्माण/क्रय/प्राप्ति/विस्तार अर्थात् पर देय खात की धनराशि को वापस मंजूर माफ किया जाना है।

सचिव,
एस०ए०टी० रिजर्वी,
प्रमुख सचिव, विना।